न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/149

प्रकरण संख्या 91/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री औंकारसिंह पिता श्री देवीसिंह राजपुत निवासी लूणदा, तह.कानोड़, जिला उदयपुर।

..................प्राथीगण

बनाम

1. श्री भंवरलाल पुत्र श्री सुखलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा मजरा रामपुरा, कानोड़।
2. श्री गोपाल पिता मदनलाल वेद निवासी लूणदा, तहसील कानोड़, उदयपुर।
3. श्री भंवरलाल पिता शंकरलाल वेद निवासी लूणदा, तहसील कानोड़, उदयपुर।
4. श्रीमती शान्ताबाई पत्नी मदनलाल वेद निवासी लूणदा, तहसील कानोड़, उदयपुर।
5. श्री रतनलाल पिता लच्छमण धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा मजरा रामपुरा, कानोड़।
6. श्री रामेश्वरलाल पिता लच्छमण धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा मजरा रामपुरा, कानोड़।
7. श्री धनराज पिता श्री दौला धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा मजरा रामपुरा, कानोड़।
8. श्री गोविन्द पुत्र श्री सुरेशचन्द्र धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा मजरा रामपुरा, कानोड़।
9. श्री प्यारचन्द पिता दौला धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा मजरा रामपुरा, कानोड़।
10. श्री भोलीराम पिता श्री दौला धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा मजरा रामपुरा, कानोड़।
11. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कानोड़ जिला उदयपुर।

.............अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री मुकेश कुमार डांगी।

निर्णय **दिनांक : 09.06.2022**

1. प्रार्थीगण श्री औंकारसिंह पिता श्री देवीसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा [illegible] पटवार हल्का लूणदा, भू. अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी [illegible] 2078–81 के खाता संख्या 15 की आराजी संख्या 1032 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1033 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1034 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1035 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1036 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1037 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1038 रकबा 0.5700 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

1341/1053 रकबा 0.3800 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसमें प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है।

2. उक्त वर्णित भूमि का आज दिन तक कभी भी सीमांकन नहीं हुआ है एवं न ही पक्की पत्थरगढ़ी हुई है, जिससे आये दिन सीमा संबंधी विवाद पैदा होने की संभावना रहती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का इस कारण से सही ढ़ग से विकास भी नहीं कर पा रहा है एवं फसलों को बचाने के लिए भी प्रार्थीगण अपनी इस कृषि भूमि के चारो तरफ पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र बिनाय दिनांक 17.04.2022 को पैदा हुआ जब प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के लिए कहा गया, तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए कहा गया।

3. अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कृषि आराजियात मौजा लूणदा, पटवार हल्का लूणदा, भू. अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 15 की आराजी संख्या 1032 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1033 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1034 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1035 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1036 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1037 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1038 रकबा 0.5700 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1341/1053 रकबा 0.3800 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसका नियमानुसार सीमांकन कर पक्की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भींडर जिला-उदयपुर (राज.)

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया विपक्षीगण [illegible] किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 10 द्वारा बाद तामिल [illegible] कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:23 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा लूणदा, पटवार हल्का लूणदा, भू. अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत्

उपखण्ड अधिकारी भींडर
जिला-उदयपुर (राज.)

2078–81 के खाता संख्या 15 की आराजी संख्या 1032 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1033 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1034 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1035 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1036 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1037 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1038 रकबा 0.5700 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1341/1053 रकबा 0.3800 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कानोड़ को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा लूणदा, पटवार हल्का लूणदा, भू. अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 15 की आराजी संख्या 1032 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1033 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1034 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1035 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1036 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1037 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1038 रकबा 0.5700 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1341/1053 रकबा 0.3800 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:23 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)